राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री निखिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
87/2022	दावा 91, 88 RTA	26.05.2022	23.12.2022

पोकरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति दारोगाा उम्र 72 वर्ष निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू।

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद व हकीम अहमद
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू का मूल निवासी है वादी की कृषि भूमि रोही लोहसना बड़ा में एकल स्वामित्व की है। प्रतिवादी सं 01 तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है क्योंकि राजस्व अंकन का दायित्व तहसीलदार चूरू का है बैंक से कोई अनुतोष नहीं चाहा है, रहन होने से पक्षकार बनाया गया है।

वादी के स्वयं के खातेदारी काश्तकारी के नाम की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 451, 990/495 तादादी क्रमशः 1.4955 व 1.2772 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके खाता संख्या पुराना 146 नया खाता संख्या 139 है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी विभाजन के बाद अकेला काश्तकार खातेदार है एवं उक्त कृषि भूमि पर बड़ौरा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा लोहसना बड़ा से के.सी.सी. ऋण ले रखा है। यह कि वादी की पैतृक कृषि भूमि खं. नं. 77,95,96 रकबा क्रमशः 32.0700, 26.1400, 11.1300 कुल तादादी 70.14 बीघा में वादी के भाई, बहिनों व माता का विरासतन नामान्तरण दर्ज व विभाजन करने पर खातेदार जमाबन्दी संवत् 2053 से 2060 में वादी सहित सभी भाई बहिनों की जाति दरोगा अंकित है। वादी की बहिनों द्वारा जरिये रिलिजडीड हक त्याग करवने के बाद व खाता विभाजन के बाद अन्य छः भाईयों की खातेदारी जमाबंदी में सुप्यारसिंह, बजरंगसिंह, लिछमणसिंह, इन्द्रसिंह, खमसिंह, मूलसिंह की खातेदारी जमाबन्दी में दरोगा अंकित है जो सही है लेकिन सहवन से वादी के हिस्से की कृषि भूमि में जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। संयुक्त पैतृक कृषि भूमि में सभी की जाति दरोगा अंकित है।

खसरा नम्बर 451 व 990/495 तादादी क्रमशः 1.4922 व 1.2772 हैक्टैयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में खरीदशुदा व विभाजन में सहवन से वादी की जाति राजपूत अंकित हो गई, वादी ने अपनी जाति दरोगा ही अंकित

करवायी थी परन्तु भूलवश टाईप मिस्टेक के कारण राजपत अंकित हो गई वादी की सही शुद्ध व वास्तविक जाति दरोगा है इसलिए वादी की जाति राजपूत के बजाय दरोगा की घोषणा कर शुद्ध व सही सत्य किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने तहसीलदार महोदय चूरू को मौखिक रूप से वादी को ज्ञान होते ही दिनांक 04.04.2022 को निवेदन किया था लेकिन प्रतिवादी सं 1 ने उक्त संशोधन करने से साफ इन्कार कर दिया एवं वादी को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा व अन्य सुविधायें से लेने में बड़ी हैरानी परेशानी रहती है इस कारण वादी को श्रीमानजी के समक्ष दावा पेश करने से वाद कारण व वाद हेतुक व वादाधिकार दिनांक 04.04.2022 से हासिल है।

उक्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में होने से माननीय न्यायालय की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है।

दावा वाजिब न्यायालय शुल्क व ज्ञान से अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगे।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेद है कि वादी का दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष अनुसार अंतिम रूप से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) वादी का दावा बहक वादी अंतिक डिक्री किया जा कर वादी की कृषि भूमि खं नं. 451 तादादी 1.4922 है व ख.नं. 990/495 तादादी 1.2772 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही लोहनाबड़ा तहसील व जिला चूरू में वादी का पोकरसिंह उर्फ पोखरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत के स्थान पर शुद्ध सही जाति दरोगा की घोषणा कर दुरूस्त किये जाने की डिक्री जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार चूरू तदनुसार उक्त खसराजात के राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए निर्देशित कर पाबन्द किया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा सुनवाई न्यायोचित हो जावे वो भी वादी को दिलवाया जावे ।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई । जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने उपस्थित होकर अंकित किया हमारे बैंक के पक्ष में कृषि भूमि रहन रखते हुए नाम दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब न दिये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी को साक्ष्य हेतुय कहा कहा जिस पर अधिवक्ता वादी ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजात को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस सुनी गई।

वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में अंकत तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया वादी का का वास्तवक व शुद्ध नाम पोकरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति दारोगा है वादी के नाम में राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत अंकित हो गयी है। अतः श्रीमानजी वादी का नाम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाये । पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि तहसीलदार चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यदि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख. नं. 451, 990/495 क्रमशः 1.4922 व 1.2772 हैक्टेयर कुल रकबा 2.769 हैक्टेयर रोही ग्राम लोहसना बड़ा पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि. खेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम

पोकरसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत निवासी लोहसना बड़ा खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लोहसना बड़ा दर्ज है, जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056 ख. नं. 77,95,96 रोही ग्राम लोहसना बड़ा पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में भगवानी बेवाह हनुमान–पोकरसिंह मूलसिंह– सुप्यारसिंह– लिछमणसिंह– बजरंगसिंह–ईन्द्रसिंह–खमसिंह–पि. हनुमानसिंह–मंगेज– रूकमणी– सन्तोष– पुत्रिया हनुमन कोम दरोगा सा.दह ब.हि.ब. खातेदार ई नं. 312 दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 ख. नं. 77,95,96रोही ग्राम लोहसना बड़ा पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में भगवानी बेवाह हनुमान पोकरसिंह मूलसिंह– सुप्यारसिंह– लिछमणसिंह –बजरंगसिंह– ईन्द्रसिंह– खमसिंह–पि.हनुमानसिंह–मंगेज– रूकमणी–सन्तोष–पुत्रिया हनुमान कोम दरोगा सा.देह ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 ख. नं. 77,95,96 रोही ग्राम लोहसना बड़ा पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू में पोकरसिंह मूलसिंह– सुप्यारसिंह– लिछमणसिंह – बजरंगसिंह– ईन्द्रसिंह– खमसिंह– पि. हनुमानसिंह– मंगेज– रूकमणी–सन्तोष–पुत्रिया हनुमन कोम दरोगा सा.दह ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है। राशन कार्ड व आधार कार्ड वादी में पोकरसिंह के पिता का नाम हनुमानसिह है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा पं. स. चूरू ने खाता संख्या 146 में वादी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा अंकित किया जाने की अनुशंसा की है। सहमति पत्र में सहखातेदारों ने उक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगाा किये जाने की सहमति प्रकट की है। तहसीलदार चूरू ने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट पटवारी के अनुसार पोकरसिंह की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा किये जाने की अनुशंसा की हे।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खं नं. 451 तादादी 1.4922 है व ख.नं. 990/495 तादादी 1.2772 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही लोहनाबड़ा तहसील व जिला चूरू में वादी की जाति गलत रूप से दरोगा के स्थान पर राजपूत दर्ज हो गई है जो सहवन से अंकित हुई प्रतीत होती है। वादी ने अपने दावा के समर्थन अन्य खातों की जमाबंदियों, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि की प्रतियां पेश की मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा आदि की प्रतियां पेश की है अन्य जमाबंदियों में वादी की जाति दरोगा अंकित है । राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नामों को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों से वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होता है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि.क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू, सहखातेदारों के सहमति पत्र, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा व तहसीलदार चूरू की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खं नं. 451 तादादी 1.4922 है व ख.नं. 990/495 तादादी 1.2772 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही लोहसनाबड़ा तहसील व जिला चूरू में की जमाबंदी में दर्ज वादी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी । यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं

नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री निखिल कुमार आर0ए0एस0

पोकरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति दारोगाा उम्र 72 वर्ष निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
2. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू।

–

दावा अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 87 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामप्रसाद व हकीम खान एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:

दावा वादी अन्तर्गत धारा 91, 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का लोहसना बड़ा भू.अ.नि.क्षेत्र सिरसला तहसील व जिला चूरू, सहखातेदारों के सहमति पत्र, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लोहसना बड़ा व तहसीलदार चूरू की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खं नं. 451 तादादी 1.4922 है व ख.नं. 990/495 तादादी 1.2772 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7694 हैक्टेयर रोही लोहसनाबड़ा तहसील व जिला चूरू में की जमाबंदी में दर्ज वादी की जाति राजपूत के स्थान पर दरोगा किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। वादी ने नाम दुरूस्ती में किसी प्रकार का कोई तथ्य छुपाया है तो इसके वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। यदि उक्त वादगत भूमि किसी बैंक के रहन है तो यथावत रहन रहेगी। यदि उक्त वादगत भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह दिसम्बर सन् 2022 को जारी की गई।

(निखिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू